सील

भारत सरकार
भारत का विधि आयोग

2005 के अधिनियम संख्या 39 द्वारा यथा संशोधित हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 का संशोधन करने के लिए प्रस्ताव

रिपोर्ट सं0 204

फरवरी, 2008

हम आशा करते हैं कि इस रिपोर्ट की संस्तुतियों से आयोग के गठन में अंतर्विष्ट उद्देश्य आगे बढेगा ।

ससम्मान,

आपका,

ह0/-

(डा0 न्यायमूर्ति ए0आर0 लक्ष्मणन)

डा0एच0आर0 भारद्वाज,
माननीय मंत्री, विधि एवं न्याय,
भारत सरकार,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001
संलग्न - यथा उपरोक्त

KEXAMS

भारत का विधि आयोग

2005 के अधिनियम, 39 द्वारा यथा संशोधित हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के संशोधन के लिए प्रस्ताव

विषय सूची

1. पृष्ठभूमि - 1
2. प्रस्तुत अध्ययन - 3
3. वर्ग 1 और वर्ग 2 के दायादों में अतिव्याप्ति - समाधान की आवश्यकता - 6
4. पिता (की स्थिति के)- पुनर्निधारण की आवश्यकता - 9
5. पिता की विधवा -10
6. वर्ग 1 के दायादों का पुनरीक्षण -12
7. संस्तुतियों का समाहार -14

EXAMS

3. यह प्रस्ताव है कि हिन्दू मिताक्षरा सम्पत्ति में पुत्रियों को समान अधिकार देकर जैसा कि पुत्रों को है, धारा 6 में यथा अंतर्विष्ट विभेद को दूर किया जाए। अधिनियम की धारा 23 संयुक्त कुटुम्ब के पूर्णतः अधिभाग में किसी निवास गृह के संबंध में

भागीदारी की मांग करने के लिए स्त्री वारित को हक से वंचित करती है जब तक कि पुरूष वारिस उसमें अपने संबंधित अंश को विभाजित करने का चयन नहीं करते हैं। यह भी प्रस्ताव है कि उक्त धारा को लोप किया जाए जिससे कि उस धारा में अंतर्विष्ट स्त्री दायादों की निर्योग्यता को हटाया जा सके।

4. उक्त प्रस्ताव " स्त्रियों के सम्पत्ति अधिकारः हिन्दू विधि के अधीन प्रस्तावित सुधार " संबंधी भारत के विधि आयोग की 174वीं रिपोर्ट में यथा अंतर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित है।

5. यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है। "

2. प्रस्तुत अध्ययन

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 (संक्षेप में, हि.उ.अ.)की धारा 8 में पुरूषों के मामले में उत्तराधिकार के सामान्य नियम हैं। तदनुसार, किसी हिन्दू पुरूष के निर्वसीयत मरने पर उसकी सम्पत्ति इस अध्याय [1] के उपबंधों के अनुसार न्यायगत होगी।

[1] निर्वसीयत उत्तराधिकार पर अध्याय II जिसमें धारा 5 से 29 तक हैं।

(क) प्रथमतः उन दायादों को जो कि अनुसूची के वर्ग में उल्लिखित नातेदार हैं,

(ख) द्वितीयतः वर्ग 1 में दायाद न हो तो उन दायादों को जो कि अनुसूची के वर्ग 2 में उल्लिखित नातेदार हैं,

(ग) तृतीयतः यदि दोनों वर्गों में से किसी में का कोई दायाद न हो तो मृतक के गोत्रजों को, और

(घ) अन्तिमतः यदि कोई गोत्रज न हो तो मृतक के बन्धुओं को न्यायगत . होगी।

हि.उ.अ. 1956 यथा 2005 के अधिनियम, 39 द्वारा यथा संशोधित की अनुसूची के वर्ग 1 और वर्ग 2 में, के दायाद निम्नलिखित हैं-

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956

(देखिए धारा 8)

वर्ग 1 और वर्ग 2 में के दायाद

वर्ग 1

पुत्र; पुत्रा; विधवा; माता; पूर्व मृत पुत्र का पुंत्र; पूर्व मृत पुत्र की पुत्री; पूर्व मृत पुत्री का पत्र; पूर्व मृत पुत्री की पुत्री; पूर्व मृत पुत्र की विधवा; पूर्व मृत पुत्र के पूर्व मृत पुत्र का पुत्र; पूर्व मृत पुत्र के पूर्व मृत पुत्र की पुत्री; पूर्व मृत पुत्र के पूर्व मृत पुत्र की विधवा; (पूर्व मृत पुत्री की पूर्व मृत पुत्री का पुत्र; पूर्व मृत पुत्री की पूर्व मृत पुत्री की पुत्री; पूर्व मृत पुत्री के पूर्व मृत पुत्र की पुत्री; पूर्व मृत पुत्र की पूर्व मृत पुत्री की पुत्री)[2] ।

[2] 2005 के अधिनियम 39 द्वारा (9.9.2005 से प्रभावी होते हुए) जोड़ा गया, धारा 7

वर्ग - **2**

I. पिता

II. (1) पुत्र की पुत्री का पुत्र, (2) पुत्र की पुत्री की पुत्री, (3) भाई, (4) बहिन ।

III. (1) पुत्री के पुत्र का पुत्र, (2) पुत्री के पुत्र की पुत्री, (3) पुत्री की पुत्री का पुत्र, (4) पुत्री की पुत्री की पुत्री।

IV. (1) भाई का पुत्र (2) बहिन का पुत्र (3) भाई की पुत्री (4) बहिन की पुत्री

V. पिता का पिता; पिता की माता ।

VI. पिता की विधवा; भाई की विधवा ।

VII. पिता का भाई; पिता की बहिन ।

VIII. माता का पिता; माता की माता ।

IX. माता का भाई; माता की बहिन ।

स्पष्टीकरण - इस अनुसूची में भाई या बहिन के प्रति निर्देश के अंतर्गत उस भाई या बहिन के प्रति निर्देश नहीं है जो केवल एकोदर रक्त के हों।

उपरोक्त दोनों वर्गो को देखने मात्र से ही कतिपय विसंगतियां प्रकट होती है जो अनवधानता के कारण आ गयीं है। उदाहरण के लिए, पुत्री की पुत्री का पुत्र और पुत्र की पुत्री की पुत्री दोनों वर्गो में स्थान पाते है। आगे जबकि माता को वर्ग 1 में सम्मिलित किया गया है, पिता की विधवा को वर्ग 2 में सम्मिलित किया गया है। इसमें प्रत्यक्षतः संदिग्धता है जिसके स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। वर्ग 1 का वाचन प्रत्याक्षतः बहुत जटिल एवं दुष्वार है । उस निर्देश की शब्दावली जिसमें आयोग को गठित किया गया है अन्य बातों के साथ आम महत्व के केन्द्रीय अधिनियमों का पुनरीक्षण करना हमारा कर्त्तव्य बनाती है। जिससे कि उन्हें सरल बनाया जा सके और विसंगतियों, संदिग्धताओं और असाम्याओं को दूर किया जा सके। इस दृष्टि से आयोग

ने यह उपयुक्त समझा कि संशोधित हि.उ.अ. का इस दृष्टि से आगे पुनरीक्षण किया जाए कि दोनों वर्गो को सरल बनाया जाए और विधायी अनवधानता से उत्पन्न विसंगतियों को दूर किया जाए।

3. वर्ग 1 और वर्ग 2 के दायादों में अतिव्याप्ति - समाधान की आवश्यकता।

उपरोक्त अधिनियम में 2005 के संशोधन के अनुसार निम्नलिखित नातेदार अर्थात -

1. किसी पूर्व मृत पुत्री की पूर्व मृत पुत्री का पुत्र(अर्थात पुत्री की पुत्री का पुत्र)
2. किसी पूर्व मृत पुत्री की पूर्व मृत पुत्री की पुत्री(अर्थात, पुत्री की पुत्री की पुत्री)
3. किसी पूर्व मृत पुत्री के पूर्व मृत पुत्र की पुत्री (अर्थात पुत्री के पुत्र की पुत्री)
4. किसी पूर्व मृत पुत्र की पूर्व मृत पुत्री की पुत्री (अर्थात पुत्र के पुत्री की पुत्री)

को उक्त अधिनियम के अधीन उपबंधित अनुसूची के वर्ग 1 के अधीन विधिक दायादों की सूची में जोड़ा गया है। उपरोक्त चारों जिन्हें अब वर्ग 1 में जोड़ा गया है जो संशोधन के पूर्व पहले से ही वर्ग 2 में रहें हैं और यद्यपि उन्हें वर्ग 1 में उन्नत किया गया है किन्तु उन्हें वर्ग 2 में से निकाला नहीं गया है। तथापि, उक्त नातेदार को 2005 के पूर्व विद्यमान उन उपबन्धों में अब भी केवल भिन्न शब्दों में विद्यमान है।

वर्ग 2 प्रविष्टि II (2) पुत्र की पुत्री की पुत्री (देखिए ऊपर वर्ग 1 के अधीन क्रम सं04,)

वर्ग 2, प्रविष्टि III (2) पुत्री के पुत्र की पुत्री (देखिए ऊपर वर्ग 1 के अधीन क्रम सं03)

(3) पुत्री की पुत्री का पुत्र (देखिए ऊपर वर्ग 1 के अधीन क्रम सं03)

(4) पुत्री की पुत्री की पुत्री (देखिए ऊपर वर्ग 1 के अधीन क्रम सं0 2)

यद्यपि वर्ग 2 में उपरोक्त दोनों प्रविष्टियां वर्ग 1 में उनके लिए पूर्व मृत शब्द के प्रयोग के कारण से दृश्यमान रूप से भिन्न प्रतीत होती है किन्तु वस्तुतः अर्थ के अनुसार दोनों प्रविष्टियां एक ही हैं और केवल तब सामने आती हैं जब उनके विधिक पूर्वज उत्तराधिकार के खुलने के पूर्व अर्थात उस निर्वसीयत हिन्दू पुरूष की मृत्यु के पूर्व मर गये है जिसके बारे में उपरोक्त सगे नातेदार अवतरित हुए हैं। इसलिए हमारी राय में अनुसूची के वर्ग 2 में एक निश्चित सुधार की आवश्यकता है और उसके अधीन उपबन्धित नातेदारों को जो पहले से ही वर्ग 1 में विद्यमान है, को निकाल दिया जाना चाहिए।

जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है कि चार वंशज जिन्हें वर्ग 1 में सम्मिलित किया गया है उन्हें साथ ही वर्ग 2 में भी सूचीबद्ध किया गया है। इस पुनरावृत्ति से कारित, संभ्रम के सुधार की अपेक्षा है। यह पुनरावृत्ति प्रत्यक्ष है और स्पष्टता पुनरस्थापित करने और अनावश्यक मुकदमेवाजी से बचने के लिए उसके समाप्त किए जाने की अपेक्षा है।

पुत्री की श्रृंखला में से दो पुरूष वंशाओं को वर्ग 1 के दायादों में सूचीबद्ध नहीं किया गया है जबकि उनके समकक्ष नारियों को इस प्रकार सूचीबद्ध किया गया है। इसके छोड़े जाने के लिए कोई आधार या औचित्य नहीं है।

यह छोड़ा जाना किसी सिद्धांत या योजना पर आधारित नहीं है किन्तु पुरूष वंशजों के विरूद्ध एक प्रतिकूल विभेद निर्मित करता है और इसे परिशोधित किया जाना है।

इस प्रकार निर्वसीयत के किसी "पूर्व मृत पुत्री के पूर्व मृत पुत्र के पुत्र ", साथ ही निर्वसीयत के एक पूर्व मृत पुत्र के पूर्व मृत पुत्री के पुत्र को उक्त 2005 के संशोधन द्वारा वर्ग 1 के अधीन नहीं जोड़ा गया है। उक्त नातेदार भी निर्वसीयत की पुत्री और प्रपौत्री के माध्यम से आते हैं। उसी तर्क के आधार पर जिसका प्रयोग 2005 के संशोधन में वर्ग1 में के बचे हुओं को अंतःस्थापित जनों के लिए किया गया है उक्त संबंधिन्धियों को भी वर्ग 1 के दायादों में सम्मिलित किया जाना चाहिए था। एक पूर्व मृत पुत्र की पूर्व मृत पुत्री की पुत्री जो वर्ग 2 की प्रविष्टि की मद सं02 है को संधोधन के अधीन वर्ग 1 के दायादों के रूप में किया गया है । तथापि पुत्र की पुत्री का पुत्र अर्थात एक पूर्व मृत पुत्र की पूर्व मृत पुत्री का पुत्र को वर्ग 2 में बनाए रखा गया है यद्यपि वे दोनों निर्वसीयत से नातेदारी की उसी डिग्री में आते हैं।

पुत्री के पुत्र की पुत्री जो पहले वर्ग 2 में थी को पूर्व मृत पुत्री के पूर्व मृत पुत्र की पुत्री के रूप में वर्ग 1 में उन्नत किया गया है । जबकि पुत्री के पुत्र के पुत्र को नामतः वर्ग 2 में प्रविष्टि 3 में बनाए रखा गया है यद्यपि वे दोनों निर्वसीयत से नातेदारी की एक ही डिग्री में आते हैं। इसलिए हमारी राय में उपरोक्त दोनों नातेदारों को जिन्हें वर्ग 2 में क्रमशः दूसरी और तीसरी मद (प्रविष्टि) के अधीन " पुत्री के पुत्र का पुत्र " और " पुत्र के पुत्री का पुत्र " वर्णित किया गया है को वहां से निकाल दिया जाना चाहिए और वर्ग 1 में जोड़ा जाना चाहिए।

हमारी राय में, वह भूल जो हमने हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम की करते समय पाया है वह निश्चित रूप से एक विधायी अनवधानता का परिणाम है। इसलिए हम सुझाव देते हैं कि पुत्र की पुत्री का पुत्र साथ ही पुत्री के पुत्र के पुत्र को वर्ग 2 से निकाल कर उन्हें वर्ग 1 में जोड़ा जाए जो उसी तर्क पर आधारित

KEXAMS

है जो 2005 के संशोधित उपबंधों के अधीन वर्ग 1 में बचे हुओं के अन्तःस्थापनों के लिए प्रयोग में लाया गया है। इसलिए हम विधि विभाग से निवेदन करते हैं कि हमारे द्वारा ऊपर बतायी गयी त्रुटियों को परिशोधित करने के लिए उपयुक्त कदम उठावें।

4. पिता (की स्थिति के)पुनर्निधारण की आवश्यकता

दूसरा बिन्दु जिस पर विचार किया जा सकता है वह यह है कि

इस संशोधन के कारण वर्ग 2 की प्रविष्टि II और III में के व्यक्ति ऊपर उठाए गए हैं और वे वर्ग 1 के दायादों में स्थान पाते है। इसके द्वारा तीसरी पीढ़ी के व्यक्ति जो मृत व्यक्ति से दूर से जुड़े हुए हैं एक निकट सम्बन्धी पर प्राथमिकता पाते हैं, नामतः

"पिता " वर्ग 2 प्रविष्टि I में एकमात्र दायाद है और

" भाई " वर्ग 2 प्रविष्टि II मद 3 में और

" बहिन " वर्ग 2 प्रविष्टि II मद 4 में

" पिता " , के स्थान के बारे में जो उस किसी के मुकाबले में जो वर्ग 2 प्रविष्टि II और III की सूची में आते है, निश्चित रूप से एक बहुत निकट नातेदार है। " माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधनियम, 2007 " में माता-पिता को भरण-पोषण देने के लिए संसद के हाल के अधिनियमन की दृष्टि से " पिता " अधिक महत्वपूर्ण हो गया है जिसमें अब यह आज्ञापक बना दिया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने माता-पिता का भरण-पोषण करे और उसमें असफल रहने का परिणाम दंड होगा। इसके ऐसा होते हुए यह प्रत्याशा करना स्वाभाविक और तर्कयुक्त है कि पिता को माता के समान ही अपने पुत्र की सम्पत्ति में विरासत का अधिकार दिया जाए। इस प्रकार " पिता " के तीसरे पीढ़ी के " पुत्री की पुत्री की पुत्री " आदि के पीछे

KEXAMS

धकेलने का कोई अर्थ नहीं है। तीसरी पीढी के नातेदारों पर जिनका हमारे समाज में निर्वसीयत मरने वाले व्यक्ति से कोई सम्पर्क नहीं हो सकता है के स्थान पर एक अधिक निकट के नातेदारों को प्राथमिकता देना क्यों छोड़ा जाए- ज्ञात नहीं है?

आगे, हमें एक और बिन्दु देखना है अर्थात प्रायः सभी (वर्ग 1 के दायाद) पुत्र, पुत्री, पौत्र और पौत्री का 2007 के अधिनियम के अनुसार माता-पिता या पितामह का भरण पोषण करने का कर्त्तव्य है। प्रपौत्र और प्रपौत्रियों पर अपने पितामह और पितामही की देखभाल करने का कोई कर्त्तव्य नहीं डाला गया है जबकि वर्ग 1 के दायादों के रूप में अंश पाने का उन्हें समान अधिकार दिया गया है। यह निश्चित रूप से एक विसंगति है। " पिता " को वर्ग 1 में सम्मिलित करने के द्वारा ही इसका परिशोधन किया जा सकता है।

जैसा पहले सुझाया गया है, हमें यह विचार करना है कि पिता को वर्ग 1 के दायाद के रूप में उन्नत कर माता के साथ रखने की वांछनीयता यह भी थी कि वह सूची में पुत्री की पुत्री के मुकाबिले कम रूप का दायाद न रहे विशेषतः जब हम अब संतानों के अपने माता-पिता का भरण पोषण करने के दायित्व को विधि द्वारा लागू करने पर विचार कर रहे हैं।

5. पिता की विधवा

वर्ग 2 के दायादों में प्रविष्टि VI पिता की विधवा को भाई की विधवा के साथ विनिर्दिष्ट करती है और उसे निर्वसीयत मरने वाले समांशिन मृत पुरूष के पितामह और पितामही के नीचे रखा गया है। इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि पिता की विधवा पद अपने विस्तार में माता को भी सम्मिलित करता है, किन्तु माता को

पहले ही वर्ग 1 के दायादों में सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार वर्ग 2, प्रविष्टि VI में पिता की विधवा तर्कपूर्ण रूप से केवल सौतेली मां के प्रति निर्देश किया गया है ओर सगी मां के प्रति नहीं । तथापि, संबंधित प्रविष्टि व्यक्त रूप से ऐसा नही कहती है। इस संबंध में हि.उ.अ. की धारा 10 के नियम 1 और 2 पर ध्यान देना सुसंगत हो सकता है । नियम 1 के अनुसार निर्वसीयत की विधवा, अथवा यदि एक से अधिक विधवाएं हैं तो सभी विधवाएं मिलकर 1 अंश लेंगी । भारतीय विधि एक विवाह का उपबंध करती है और सामान्य नियम के रूप में द्वि-विवाह और बहु-विवाह का प्रतिषेध करती है । हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 भी विहित करता है कि हिन्दू विवाह भी एक शर्त के रूप में दोनों पक्षकारों में से किसी का भी पति या पत्नी विवाह के समय जीवित नहीं है। इसप्रकार किसी के एक से अधिक विधवाएं होने की दूर की संभावना है। हिउअ के उपबंध अधिक रूप में पर्याप्त सावधानी के रूप में प्रतीत होते हैं । धारा 10 का नियम 2 उपबन्धित करता है कि निर्वसीयत के उत्तरजीवी पुत्र और पुत्रियां और माता प्रत्येक एक एक प्रभाग लेंगी। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि यदि निर्वसीयत की माता वर्ग 1 की दायाद के रूप में एक प्रभाग लेती है तो सौतेली माता, यदि कोई हो, को उत्तराधिकार में पाने के लिए कुछ भी नंहीं बचेगा।

इसलिए " पिता की विधवा " अभिव्यक्ति के इस रूप में स्पष्ट किए जाने की आवश्यकता है कि यह सौतेली माता (माताओं) के प्रति निर्देश करता है और सगी माता के प्रति नहीं अर्थात सगी माता के अतिरिक्त पिता की अन्य विधवाएं । किन्तु इस प्रविष्टि को प्रविष्टि 2 के स्तर पर ऊपर किया जा सकता है और सगी माता के अतिरिक्त पिता की विधवा को अनुसूची में वर्ग 2 के अधीन प्रविष्टि 2 में भाई और बहिन के साथ और उनके पश्चात रखा जाए।

KEXAMS

6. वर्ग 1 के दायादों का पुनरीक्षण

अनुसूची में वर्ग 1 के दायादों में एक बड़ी संख्या में उत्तराधिकारी हैं जो मृत निर्वसीयत के वंशज की स्थिति में तीन डिग्री तक नीचे जाते हैं अर्थात उसके प्रपौत्रों तक सूची पढ़ने में जटिल है और साधारण रूप में समझ में आने वाली नहीं है। हम महसूस करते हैं इसके सरल बनाए जाने की आवश्यकता है विशेषतः हि.उ.अ. की धारा 9 और 10 में समाविष्ट उत्तराधिकार के सामान्य सिद्धान्तों की दृष्टि से। अनुसूची में विनिर्दिष्ट दायादों के बीच उत्तराधिकार के क्रम के अनुसार अन्य दायादों को निवारित करते हुए वर्ग 1 के दायाद एक साथ और क्रमानुसार उत्तराधिकार प्राप्त करेंगे। अब उन नियमों के प्रति निदेश करना समुचित होगा जो अनुसूची के वर्ग 1 में दायादों के बीच सम्पत्ति के वितरण के लिए है जैसे कि वे हि.उ.अ. की धारा 10 में समाविष्ट हैं। हि.उ.अ. की धारा 10 निम्न रूप में है:-

10. अनुसूची के वर्ग 1 में दायादों में सम्पत्ति का वितरण - निर्वसीयत की सम्पत्ति वर्ग 1 में के दायादों में निम्नवर्ती नियमों के अनुकूल विभाजित की जायेगी-

नियम 1 - निर्वसीयत के विधवा या यदि एक से अधिक विधवा हों तो सब विधवाएं मिलकर एक अंश लेंगी।

नियम 2 - निर्वसीयत के उत्तरजीवी पुत्र और पुत्रियां और माता प्रत्येक एक एक अंश लेंगी।

नियम 3 - निर्वसीयत के पूर्व मृत पुत्र या पूर्व मृत पुत्रियों में से प्रत्येक की शाखा में के दायाद मिलकर एक अंश लेंगे।

नियम 4 - नियम 3 के निर्दिष्ट अंश का वितरण -

KEXAMS

(i) पूर्व मृत पुत्र की शाखा में के दायादों के बीच ऐसे किया जायेगा कि उसकी अपनी विधवा (या मिलकर विधवाएं) और उत्तरजीवी पुत्र और पुत्रियों को बराबर प्रभाग प्राप्त हो, और उसके पूर्व मृत पुत्रों की शाखा को वैसा ही प्रभाग प्राप्त हो ।

(ii) पूर्व मृत पुत्रों की शाखा में दायादों में ऐसे किया जायेगा कि उत्तरजीवी पुत्री और पुत्रियों को बराबर प्रभाग प्राप्त हो। "

ऊपर कथित से यह निष्कर्ष निकलता है कि निर्वसीयत के उत्तरजीवी पुत्र और पुत्रियां प्रत्येक एक अंश लेता है। यदि कोई पुत्र या पुत्री निर्वसीयत के पूर्व मर जाता है तो यथा स्थिति उसके या उसकी संतान आपस में एक अंश लेगे जो यथास्थिति पूर्व मृत पुत्र या पुत्री को गया होता यदि वह निर्वसीयत की मृत्यु के समय वह जीवित होता तो। दूसरे शब्दों में, यदि ऐसी संतान में से कोई निर्वसीयत की मृत्यु के समय पूर्व मृत है और अपने पीछे निर्वसीयत की मृत्यु के समय जीवित संतानें छोड़ कर मरता है तो ऐसी संतान भी संतानें जैसा ऊपर कहा गया है आपस में वह अंश लेगी जो उक्त संतान को मिली होती यदि वह निर्वसीयत की मृत्यु के समय जीवित होती। यह नियम भी धारा 6 में हिन्दू नारी के दायादों के बीच उत्तराधिकार के क्रम में भी समाविष्ट किया गया है। यह उत्तराधिकार के क्रम में से निकलता है और धारा 10 की योजना, सपठित अनुसूची में के वर्ग 1 के दायादों में, अंर्तनिहित है।

इसके अतिरिक्त, पूर्व मृत पुत्र की विधवा भी एक अंश प्राप्त करेगी।

तदनुसार, इन उपबंधों में विधि का उसे और सरल बनाने की दृष्टि से निम्नानुसार पुनरीक्षण हो सकता है। निम्नलिखित नियम को धारा 10 में अंतःस्थापित किया जाएगा।

नियम 2 - माता और पिता, यदि दोनों निर्वसीयत की मृत्यु के समय जीवित है तो वे एक साथ मिलकर एक अंश प्राप्त करेंगे ।

माता को विद्यमान नियम 2 से हटा दिया जाएगा ।

विद्यमान नियम 2 और 3, 4 को क्रमशः नियम 3,4 और 5 के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा। शब्द उत्तराधिकार में ऐसे ही को पुनः संख्यांकित नियम 4 के अंत में जोड़ दिया जाए।

अनुसूची के वर्ग 1 के दायादों को निम्नलिखित रूप में पुनरीक्षित किया जा सकता है।

वर्ग 1

1. पुत्र, पुत्री, विधवा, माता और पिता
2. जहां कोई पुत्र या पुत्री निर्वसीयत से पूर्व मृत हैं, तब यथास्थिति उस पूर्व मृत पुत्र या पुत्री की संतानें और पूर्व मृत पुत्र की विधवा , यदि कोई हो तो
3. और निर्वसीयत के पूर्व मृत उत्तराधिकारियों की अवरोही शाखा के दायादों में इसी प्रकार से आगे होगा।

7. संस्तुतियों का समाहार

1. निम्नलिखित प्रविष्टियों को अनुसूची के वर्ग 2 से निकाल दिया जाना चाहिए क्योंकि इन्हें उन्नत कर अनुसूची के वर्ग 1 में रख दिया गया है।

प्रविष्टि (II) (2) पुत्र के पुत्री की पुत्री

प्रविष्टि (III) (2) पुत्री के पुत्र की पुत्री

प्रविष्टि (III) (3) पुत्री की पुत्री का पुत्र

प्रविष्टि (III) (4) पुत्री की पुत्री की पुत्री

2. निम्नलिखित प्रविष्टियों को वर्ग 2 से निकाल दिया जाना चाहिए और उन्हें अनुसूची में वर्ग 1 के दायादों में जोड़ दिया जाना चाहिए ।

प्रविष्टि (II) (1) पुत्र की पुत्री का पुत्र

प्रविष्टि (III) (1) पुत्री के पुत्र का पुत्र

3. वर्ग **2** के अधीन प्रविष्टि **I** से पिता को निकाल दिया जाना चाहिए और उसे वर्ग **1** में माता के पश्चात अंतःस्थापित किया जाना चाहिए।

4. पिता की विधवा को प्रविष्टि VI से निकाल दिया जाना चाहिए और उसे प्रविष्टि II में " बहिन " के पश्चात सगी माता से इतर पिता की विधवा के रूप में सम्मिलित किया जाना चाहिए

5. (1) धारा 10 में नियम 1 के पश्चात निम्नलिखित नियम को अन्तःस्थापित किया जाएगा।

नियम 2 निर्वसीयत की मृत्यु के समय उत्तरजीवी माता-पिता आपस में मिलकर एक प्रभाग प्राप्त करेंगे।

(2) उसके नीचे के नियम 2,3 और 4 को क्रमशः नियम 3,4 और 5 के रूप में पुनः संख्यांकित किया जायेगा।

KEXAMS

(3) माता को विद्यमान नियम 2 से निकाल दिया जाएगा और नियम 3 के रूप में पुनः संख्यांकित किया जायेगा।

(4) "इसी प्रकार आगे " शब्दों को पुनः संख्यांकित नियम 4 के अंत में जोड़ दिया जाएगा।

6. ऊपर क्रम संख्या 1 से 3 तक संस्तुति किए गए संशोधन उस सीमा तक छोड़कर जहां तक ये वर्ग 2 में से निकाले जाने वालों से संबंध रखते हैं, आवश्यक नहीं होंगे, यदि अनुसूची के वर्ग 1 में के दायादों को पुनरीक्षित करने की वैकल्पिक संस्तुति को जो निम्नलिखित हैं, स्वीकार किया जाता है।

वर्ग 1

(1) पुत्र, पुत्री, विधवा, जनक (अथवा माता और पिता)

(2) ऐसे मामलें में जहां कोई पुत्र या पुत्री, निर्वसीयत की मृत्यु के पूर्व मर जाता है, तब यथास्थिति ऐसे पूर्वमृत पुत्र या पुत्री की संतानें और पूर्व मृत पुत्र की विधवा, यदि कोई हो ।

(3) और इस प्रकार उत्तराधिकार में उत्तराधिकारियों की निचली शाखा के दायादों के बीच यथास्थिति उनके पौत्रों एवं पौत्रियों, प्रपौत्रों और प्रपौत्रियों और किसी पौत्र की अथवा प्रपौत्र की विधवा होने पर ऐसे ही उनके निर्वसीयत से पूर्व मृत होने की स्थिति में होगा।

हस्ता०/-

(डा0 न्यायमूर्ति ए0आर0 लक्ष्मणन)
अध्यक्ष

हस्ता०/-
(प्रो0 डा0 ताहिर महमूद)
सदस्य

हस्ता०/-
(डा0 डी0पी0शर्मा)
सदस्य सचिव

KEXAMS